लूटकांड — सिवनी पुलिस ने खैरीटेक क्षेत्र में नागपुर के शख्स सोहन परमार से करीब 3 करोड़ रुपए जब्त किए थे

एसडीओपी पूजा पांडे को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

सिवनी। जिले में हुए हवाला लूटकांड की मुख्य आरोपी एसडीओपी पूजा पांडे को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। एसडीओपी ने कोर्ट को बताया कि उसके साथ 2 साल का बच्चा है। इसी आधार पर सोमवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। हालांकि, ट्रायल कोर्ट में केस यथावत चलता रहेगा।

निलंबित एसडीओपी पूजा पांडे करीब 3 करोड़ रुपए के हवाला लूटकांड की मुख्य आरोपी हैं। उनके साथ कई पुलिसकर्मी भी इस केस में शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की कोर्ट ने कहा- याचिकाकर्ता महिला है। वह एकल मां है और उसका 2 साल का बच्चा उसके साथ जेल में है।

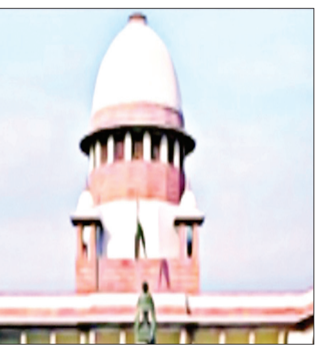

यह है पूरा मामला

यह मामला खैरीटेक क्षेत्र में कथित हवाला रकम की लूट से जुड़ा है, जिसने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी थी। आरोप है कि वारदात को पुलिस वर्दी और हथियारों का इस्तेमाल कर योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया था। घटना सामने आने के बाद पुलिस विभाग ने उच्चस्तरीय जांच शुरू की गई थी। घटना के बाद राज्य स्तर पर विशेष जांच टीम गठित की गई थी। टीम ने कई पुलिसकर्मियों से पूछताछ की और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी जुटाए गए थे।

2 के खिलाफ निरस्त हो चुकी एफआईआर

मामले में अधिकांश आरोपियों को जबलपुर हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। वहीं, दो आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर भी निरस्त हो चुकी हैं। इसके बाद पूजा पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। सिवनी पुलिस ने खैरीटेक क्षेत्र में नागपुर के शख्स सोहन परमार से करीब 3 करोड़ रुपए जब्त किए थे। पुलिस पर आरोप है कि रिपोर्ट में जल्दी सिर्फ एक करोड़ 45 लाख रुपए की दिखाई। इतना ही नहीं, आरोपी को भी बिना कार्रवाई छोड़ दिया। इसकी जानकारी वरिष्ठ अफसरों को भी नहीं दी थी। जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था। 9 अक्टूबर को सीएसपी पूजा पांडे और एसआई अर्पित भैरम ने यह 1.45 करोड़ रुपए की रकम जमा कराई थी। मामला सामने आने के बाद 9 अक्टूबर की रात को आईजी प्रमोद वर्मा ने थाना प्रभारी अर्पित भैरम समेत 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया था। इसके बाद 10 अक्टूबर को डीजीपी कैलाश मकवाना ने एसडीओपी पूजा पाण्डेय को भी सस्पेंड कर दिया था।

सूकतरा के शांति वन रेस्टोरेंट कांड पर फूटा जनआक्रोश

▸ नाबालिग से अमानवीय कृत्य के विरोध में सर्व सामाजिक संगठनों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

सिवनी/कुरई। कुरई क्षेत्र के ग्राम सूकतरा स्थित संदीपनी विद्यालय के पास संचालित शांति वन रेस्टोरेंट में नाबालिग बालिका के साथ कथित रूप से नशीला पदार्थ देकर अमानवीय कृत्य किए जाने की घटना को लेकर जिलेभर में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। इस गंभीर मामले को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है।

ज्ञापन में कहा गया है कि यह घटना केवल एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि बेटियों की सुरक्षा, सामाजिक वातावरण और कानून व्यवस्था पर सीधा हमला है। संगठनों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से कुछ होटल, रिसॉर्ट, ढाबों एवं रेस्टोरेंटों में संदिग्ध और अनैतिक गतिविधियों की शिकायतें मिलती रही हैं, लेकिन समय पर सख्त कार्रवाई नहीं होने के कारण ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं।

विद्यालय के समीप संचालित प्रतिष्ठान पर उठे सवाल

सामाजिक संगठनों ने ज्ञापन में विशेष चिंता जताते हुए कहा कि उक्त रेस्टोरेंट विद्यालय के समीप संचालित हो रहा है, जिससे बच्चों और युवाओं पर गलत प्रभाव पड़ने की आशंका बढ़ रही है। क्षेत्रवासियों में यह भावना बन रही है कि कुछ प्रतिष्ठानों ने नियमों की अनदेखी कर अवैध गतिविधियों को संरक्षण दिया जा रहा है।

ज्ञापन में प्रशासन से की गई प्रमुख मांगें

शांति वन रेस्टोरेंट मामले की निष्पक्ष एवं त्वरित जांच कर दोषियों को कठोरतम सजा दिलाई जाए। जिले के सभी होटल, लॉज, रिसॉर्ट, ढाबों और रेस्टोरेंटों की विशेष जांच करवाई जाए।

दस हजार की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने बाबू को दबोचा

सिवनी। जिले के अंतर्गत विकासखंड धनौरा के अंतर्गत बीडीओ कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड तीन का बाबू अरुण कुमरे को दस हजार रुपये की रिश्वतखोरी करते हुए जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने धर दबोचा था। लोकायुक्त की कार्यवाही हुए पांच दिन बीत गए अभी तक निलंबन की कार्यवाही नही हुई, पांच दिन बाद भी सहायक आयुक्त लाल जी मीणा द्वारा अभी भी भ्रष्ट बाबू अरुण कुमरे को अपना संरक्षण देने का काम कर रहे हैं जो इस बात का प्रमाण है कि पांच दिवस बाद भी मामले को संज्ञान में लिया न हो कोई कार्यवाही की सूत्र तो यह भी बताते है कि भ्रष्टाचार के इस खेल में धनौरा शिक्षक संघ के कुछ लोगों भी शामिल हैं जो अरुण कुमरे के साथ मिलकर शिक्षकों के अन्य कामो के एवज में शिक्षकों से पैसे वसूले जाते थे एरियस हो या क्रमोन्नत ऐसे अन्य कामो के नाम से मोटी रकम वसूली जाती थी और अपना अपना हित साधते हुए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता रहा है लोकायुक्त कार्यवाही के बाद बीडीओ कार्यालय में सिर्फ परते बाबू ही नजर आते हैं राकेश सैयाम नामक बाबू का आता पता नहीं है नही कार्यालय आ रहा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी की माने तो बीडीओ कार्यालय में पदस्थ राकेश सैयाम बाबू द्वारा भी कामो के एवज में पैसे की मांग की जाती है और अब कोई व्यक्ति किसी काम से राकेश सैयाम को फोन लगाया जाता है तो उनके द्वारा फोन नही उठाया जाता नही अपने कार्यालय आ रहे हैं जिले के संवेदनशील कलेक्टर महोदय से अपील की है कि धनौरा बीडीओ कार्यालय में पदस्थ राकेश सैयाम की भूमिका की भी जांच कर उचित कार्यवाही करे।

टिकट चेकिंग से 12 करोड़ 35 लाख का राजस्व प्राप्त

जबलपुर, नवभारत। पश्चिम मध्य रेल में प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक के निर्देशानुसार तीनों मंडलों में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य अधिकारियों के नेतृत्व में यात्री गाड़ियों एवं स्टेशनों पर समय-समय पर टिकट जांच अभियान चलाए गए। इन अभियानों के परिणामस्वरूप पश्चिम मध्य रेल ने चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल 2026 में कुल 01 लाख 75 हजार मामलों में अनबुक्ड लगेज, बिना टिकट यात्रा तथा अनियमित टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्री शामिल थे। इनसे अतिरिक्त किराया एवं जुर्माना सहित कुल 12 करोड़ 35 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। यह राशि पिछले वर्ष इसी अवधि में वसूले गए ।

शाखा प्रबंधक जिला सहकारी बैंक बरघाट को हटाने की मांग

धारनाकला सिवनी। लम्बे समय से पदस्थ है एक ही शाखा मे जिला प्रशासन तथा सम्बन्धित विभाग पर उठते सवाल जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मे शाखा प्रबंधक या अन्य अधिकारियो के एक ही शाखा मे कार्य काल के सम्बन्ध मे आमतौर पर 03 वर्ष की रोटेशन नीति स्थानान्तरण नीति का पालन किया जाता है प्रशासनिक कारणो से यह अवधि जरूर 05 वर्ष तक बढाई जा सकती है लेकिन आमतौर पर 05 वर्ष से अधिक एक ही स्थान पर रहने की अनुमति नही होनी चाहिये जबकि बैंक अधिकारियो का तबादला 03 साल की सेवा पूरी होने पर किया जा सकता है जो जिले व छेत्र के भीतर हो सकता है किन्तु सिवनी जिले मे

आज भी जिला सहकारी केन्द्रीय बैको मे पाच वर्ष से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी शाखा प्रबंधक बैको मे अगंद की तरह पैर जमाये बैठे है और जिले के जवाबदार जिनके हाथो मे यह प्रक्रिया है वे राजनैतिक दबाव के चलते 03 वर्ष की रोटेशन स्थानान्तरण नीति पर अमल करते नजर नही आ रहे है इसी का कारण है अब आम जनमानस और पीडित किसानो की शिकायत जिला कलेक्टर के दरबार मे पहुचने लगी है उल्लेखनीय है की जिला सहकारी केन्द्रीय बैक शाखा किसानो से जुडी बैक शाखा है जहा जिले अथवा बलाक स्तर के 90% बैक खाते का संचालन इसी शाखा से होता किन्तु किसानो से जुडी इस शाखा मे किसानो की सुनने वाला कोई नही है और इसी बात से क्षुब्ध कुछ किसानो ने जिला सहकारी बैक शाखा बरघाट के शाखा प्रबंधक को तत्काल हटाने की मांग जिला कलेक्टर से की है ।

पीडित किसानों ने लगाये आरोप

जिला कलेक्टर को प्रेषित शिकायत मे आरोप लगाया गया है की शाखा प्रबंधक बरघाट पांच वर्ष से ज्यादा समय बीतने के बाद अब लोगो के लिये परेशानी का सबब बने हुऐ है तथा छेत्र वासियो को परेशान करने से बाज नही आ रही है शिकायत पत्र मे उल्लेख किया गया है जिला सहकारी केन्द्रीय बैक बरघाट के अन्तर्गत चार सहकारी समितिया मलारा बरघाट बोरी केसला समितियो के कार्य छेत्र के हजारो किसानो के लेन देन देन इसी बैक के माध्यम से संचालित है जैसे खाद्य बीज ञण और नगद ञण एवं समर्थन मूल्य पर धान गेहू बिक्री की राशि भी इसी बैक से किसानो को आहरित करनी होती है चूकि समिति से जुडे किसानो के बैक खाते इसी बैक मे संचालित है किसानो को परेशान करने के उद्देश्य से उनके खातो मे इधर से उधर ञण राशि का चढा देना और किसानो को परेशान करना शाखा प्रबंधक की नियति सा बना हुआ है शिकायती पत्र मे यह भी उल्लेखित है की शाखा प्रबंधक महोदय समिति स्तर के कर्म चारियो के साथ गाली गलोच के साथ अभद्रता से पेश आते है और दोष किसानो के सिर मढा जाता है छेत्र के किसान अपनी धान और गेहू की बिक्री की राशि खाते से आहरण के लिये जाते है तो दस हजार से उपर की राशि का भुगतान नही करते किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार राशि की मांग करते है तो उन्हे यह कहकर वापस कर दिया जाता है की लेना है तो लो वरना वापस जाओ जो बने से कर लेना मै भी देख लूगा कहा तक जा सकते हो शिकायत पत्र एक गम्भीर आरोप यह लगाया गया है।

भगतसिंह वार्ड में नलों से आ रहा पीला और मैला पानी, लोग परेशान

सिवनी। शहर के भगतसिंह वार्ड में इन दिनों पेयजल व्यवस्था को लेकर लोगों में भारी नाराज़गी देखने को मिल रही है। वार्डवासियों का आरोप है कि घरों में नलों से पीला और गंदा पानी आ रहा है, जिससे लोगों को पीने और घरेलू उपयोग में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले कई दिनों से पानी में बदबू और गंदगी दिखाई दे रही है। कई परिवारों ने स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की आशंका जताई है। नागरिकों का कहना है कि मजबूरी में उन्हें बाजार से पानी खरीदना पड़ रहा है। वार्डवासियों ने नगर परिषद और संबंधित विभाग से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि जल्द साफ पेयजल उपलब्ध नहीं कराया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

प्रेस क्लब सिवनी में तानाशाही के आरोप : बिना स्पष्टीकरण सदस्य का निष्कासन

सिवनी। प्रेस क्लब ऑफ सिवनी (प्रेस एसोसिएशन) द्वारा हाल ही में कार्यकारिणी की बैठक में वरिष्ठ सदस्य श्री अखिलेश दुबे की सदस्यता समाप्त करने के निर्णय को लेकर विवाद गहरा गया है।

संस्था के इस कदम को लेकर अब विरोध के स्वर उठने लगे हैं और इसे एकतरफा व न्याय-संगत प्रक्रिया के विरुद्ध बताया जा रहा है। इस निर्णय पर आपत्ति दर्ज कराते हुए इसे संस्था की गरिमा के प्रतिकूल बताया गया है। विरोध जता रहे सदस्यों का मानना है कि इस कार्रवाई में नियमों और पारदर्शिता की पूरी तरह अनदेखी की गई है।

निष्कासन पर उठाए गए मुख्य बिंदु

पक्ष रखने का नहीं मिला मौका: शिकायत है कि अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर की गई इस बड़ी कार्रवाई से पहले संबंधित सदस्य को अपना पक्ष रखने या स्पष्टीकरण देने का कोई अवसर नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।

अपारदर्शी कार्यप्रणाली

सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि श्री दुबे द्वारा किस प्रकार की अनुशासनहीनता की गई थी।

बिना किसी ठोस कारण या सार्वजनिक विवरण के सदस्यता समाप्त करना संस्था की साख पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।

व्यक्तिगत द्वेष की आशंका

उचित प्रक्रिया का पालन न किए जाने के कारण यह आशंका जताई जा रही है कि संभवत: अध्यक्ष और सचिव द्वारा यह निर्णय व्यक्तिगत रंजिश या द्वेष की भावना से प्रेरित होकर लिया गया है।

निष्पक्ष जांच की मांग

प्रेस क्लब के अन्य जागरूक सदस्यों और पत्रकार जगत ने मांग की है कि न्याय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए इस निर्णय पर तत्काल पुनर्विचार किया जाए। साथ ही, लगाए गए आरोपों की किसी निष्पक्ष समिति से जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।

20 को बंद रहेंगी मेडिकल दवा दुकानें

उगली समाचार। 20मई को बंद रहेंगे मेडिकल, दवा दुकानें... एक दिवसिय आल इंडिया केमिस्ट/ड्रगिस्ट रहेंगे हड़ताल पर प्रधान मंत्री को सौंपेगे जायज मांग के लिय एक सूत्रीय ज्ञापन.... ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट मेडिकल संचालक दवा दुकान 20 मई दिन बुधवार को देश व प्रदेश में एक दिन का सांकेतिक हड़ताल के रूप में अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे, यह कदम लंबे समय से संबंधित प्राधिकरण से लगातार निवेदन एवं आग्रह करने के बावजूद इंटरनेट के माध्यम से हो रही अवैध दवा बिक्री पर कोई प्रभावी कार्यवाही न होने के विरोध स्वरूप उठाया गया है, पूरे भारतवर्ष के लाखों केमिस्ट एवं दवा विक्रेताओं में व्याप्त गहरे असंतोष के कारण ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट तथा मध्य प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रिगस्ट ऐसोसिएशन के आह्वाहन पर सिवनी जिले के समस्त केमिस्ट एवं दवा विक्रेताओं ने संयुक्त एवं सर्वसम्मती से इस आंदोलन में

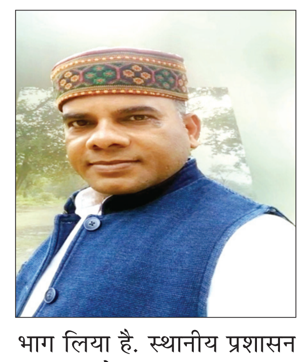

भाग लिया है. स्थानीय प्रशासन /शासन को यह ज्ञापन प्रस्तुत कर हम आपका ध्यान जन स्वास्थ्य एवं मरीजों की सुरक्षा से जुड़े अत्यंत गंभीर विषयों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, बिना किसी स्पष्ट वैधानिक प्रावधान की ऑनलाइन माध्यम से दवाओं की बिक्री, फर्जी प्रिसक्रिप्शन बिना वैध चिकित्सीय परामर्श के घर-घर दवा वितरण तथा अत्यधिक छूट जैसी गतिविधियाँ करोडो मरीजों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है,साथ ही देश भर के लाखों लाइसेंस धारी छोटे केमिस्ट एवं दवा व्यापारियों की अस्तित्व पर भी सीधा संकट उत्पन्न कर रही है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 एवं नियम 1945 में ऑनलाइन दवा बिक्री का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं होने के बावजूद विभिन्न ऑनलाइन कंपनियों वर्षों से दवाओं की बिक्री कर रही है, इसके पूर्व वर्ष 2018 में केवल जनमत आमंत्रित करने हेतु जारी अधिसूचना त्रस्क्र817 (श्व) अब प्रासंगिक एवं निरर्थक हो चुकी है, इसी प्रकार कोविड महामारी जैसी असाधारण परिस्थिति में जारी त्रस्क्र220 (श्व), जिसकी आवश्यकता केवल आपातकालीन समय में थी,वर्तमान सामान्य परिस्थितियों में आवश्यक नहीं है,किंतु इसका दुरुपयोग विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एवं क्विक कॉमर्स कंपनियों द्वारा अनियंत्रित होम डिलीवरी हेतु किया जा रहा है, इन समस्त विषयों को समय-समय पर प्रमाण सहित केंद्र सरकार एवं संबंधित प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया किंतु अवैध गतिविधियों को स्वीकार किए जाने के बावजूद कोई ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही दृष्टिगोचर नहीं हुई।

अमरकंटक के राष्ट्रीय मंच से दहाड़े सिवनी के हरीश गोल्हानी

सिवनी। पवित्र नगरी अमरकंटक में आयोजित राष्ट्रीय ओबीसी सामाजिक संगम में सिवनी जिले के युवा सामाजिक कार्यकर्ता एवं पत्रकार हरीश गोल्हानी ने पिछड़ा वर्ग, ग्रामीण समाज और वंचित समुदायों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर प्रभावशाली संबोधन दिया। सम्मेलन में उन्होंने सामाजिक न्याय, 52% आनुपातिक हिस्सेदारी, आधुनिक शिक्षा, राजनीतिक भागीदारी और लोकतांत्रिक अधिकारों के मुद्दे प्रमुखता से उठाए।

संगठनात्मक दायित्व और सामाजिक भूमिका

हरीश गोल्हानी राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ा वर्ग, ग्रामीण समाज और किसान हितों से जुड़े सामाजिक

अभियानों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सम्मेलन में उन्हें राष्ट्रीय ओबीसी संगम से जुड़े सामाजिक जागरूकता अभियान एवं संगठनात्मक दायित्वों का प्रतिनिधित्व करते हुए देखा गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि संगठन का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को शिक्षा, संवैधानिक अधिकार, सामाजिक सम्मान और राजनीतिक भागीदारी के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि संगठन गांव-गांव तक सामाजिक चेतना फैलाने, युवाओं को नेतृत्व से जोड़ने तथा संविधान आधारित अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक संघर्ष को मजबूत करने का कार्य कर रहा है।

युवाओं को आधुनिक शिक्षा और नेतृत्व का संदेश

अपने उद्बोधन में हरीश गोल्हानी ने युवाओं को तकनीकी शिक्षा, प्रशासनिक सेवाओं, उद्यमिता, विज्ञान और डिजिटल युग की नई संभावनाओं की ओर बढ़ने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के युवाओं को अब सीमित सोच से बाहर निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनानी होगी। 'समाज में सकारात्मक बदलाव तभी संभव है जब युवा जागरूक, शिक्षित और जिम्मेदार नेतृत्व के साथ आगे आएं। लोकतंत्र में हर वर्ग की भागीदारी और सम्मान जरूरी है।'

संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक एकता पर जोर

सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संविधान सभी नागरिकों को समान अवसर और सम्मान का अधिकार देता है, लेकिन आज भी अनेक वर्ग शिक्षा, रोजगार और प्रतिनिधित्व में अपेक्षित भागीदारी से दूर हैं। उन्होंने समाज से आह्वान किया कि आपसी मतभेद भुलाकर शिक्षा, सामाजिक सम्मान और अधिकारों के लिए संगठित एवं शांतिपूर्ण संघर्ष करें।

कॉम्बिंग गश्त में 53 स्थायी वारंटी सहित 103 वारंट किये तामील

सिवनी। रातभर चला अभियान, 134 पुलिसकर्मी रहे मैदान में, अपराधियों में मचा हड़कंप पुलिस अधीक्षक सिवनी कृष्ण लालचंदानी के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा के नेतृत्व में अपराध नियंत्रण एवं कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु दिनांक 17-18 मई 2026 की मध्यरात्रि जिलेभर में व्यापक द्धकॉम्बिंग गश्त अभियानट्ठ चलाया गया।

अभियान का स्वरूप

इस प्रभावी गश्त में जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारी, थाना/चौकी प्रभारी सहित 134 से अधिक पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों ने एक साथ मैदान में उतरकर संदिग्ध स्थानों, अपराधियों के ठिकानों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में सघन चेकिंग की।

हाईमास्ट लाइट के फाउंडेशन में फंसा ट्रक

छपारा । छपारा नगर स्थित भीमगढ़ रोड तिराहा पर सोमवार दोपहर एक बड़ा हादसा टल गया, जब एक माल वाहक भारी ट्रक सड़क किनारे लगे हाईमास्ट के फाउंडेशन में जाकर फंस गया। घटना दोपहर लगभग एक बजे की बताई जा रही है। ट्रक के फंसने से कुछ समय के लिए क्षेत्र में आवागमन प्रभावित हो गया और मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक चालक तिराहे से वाहन निकालने का प्रयास कर रहा था, तभी

अचानक ट्रक का पिछला हिस्सा सड़क किनारे बने हाईमास्ट लाइट के कंक्रीट फाउंडेशन में फंस गया। ट्रक इस तरह फंस गया कि चालक काफी देर तक वाहन को आगे-पीछे करता रहा, लेकिन सफलता नहीं मिली। लगभग सवा घंटे तक लगातार प्रयास के बाद ट्रक को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। घटना की सूचना मिलते ही छपारा पुलिस सहित नगर परिषद के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के सहयोग से ट्रक को निकालने की कोशिश शुरू की गई। काफी मशक्कत और चालक के प्रयासों के बाद आखिरकार ट्रक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ केमिस्टों का बिगुल

घंसौर नवभारत। जिला मुख्यालय सिवनी सहित समस्त ब्लॉक घंसौर में ऑनलाइन दवा बिक्री और ई-फार्मेसी के बढ़ते दखल के खिलाफ अब दवा व्यापारियों का गुस्सा खुलकर सामने आने लगा है। 'सिवनी डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एसोसिएशन' के तत्वाधान में घंसौर के दवा व्यापारियों ने प्रधानमंत्री के नाम घंसौर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। संगठन ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि समय रहते इस पर कठोर कार्यवाही नहीं हुई तो यह न केवल लाखों छोटे दवा व्यापारियों के लिए संकट बनेगा, बल्कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी गंभीर खतरा साबित होगा।

20 मई 2026 को जिलेभर के दवा व्यापारियों ने एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल कर शासन और प्रशासन को चेतावनी दी। इस दौरान दवा दुकानों को बंद रखकर ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ विरोध दर्ज कराया जावेगा। ज्ञापन में कहा गया कि कोविड महामारी के दौरान जारी की गई अस्थायी अधिसूचनाओं का आज दुरुपयोग हो रहा है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खुलेआम नियमों को ताक पर रखकर दवाओं की बिक्री कर रहे हैं। केमिस्ट एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि कई ई-कॉमर्स कंपनियां भारी 'डीप डिस्काउंट' और 'प्रिडेटरी प्राइसिंग' के जरिए बाजार व्यवस्था को बिगाड़ रही हैं। इससे स्थानीय दवा दुकानदार आर्थिक रूप से टूट रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि जिन दवाओं की बिक्री केवल प्रशिक्षित फार्मासिस्ट की निगरानी में होनी चाहिए, वे अब मोबाइल ऐप और वेबसाइटों के जरिए सीधे घरों तक पहुंचाई जा रही हैं। इससे नकली, एक्सपायरी और गलत दवाओं के इस्तेमाल का खतरा तेजी से बढ़ रहा है।

ऑनलाइन दवा बिक्री का कर रहे विरोध -ज्ञापन में यह भी कहा गया कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 तथा नियम 1945 में ऑनलाइन दवा बिक्री को लेकर कोई स्पष्ट कानूनी प्रावधान नहीं है, इसके बावजूद विभिन्न कंपनियां धड़ल्ले से कारोबार कर रही हैं। इससे न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि मरीजों की सुरक्षा भी दांव पर लग रही है। संगठन के पदाधिकारियों ने मांग की है कि केंद्र सरकार तुरंत ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक लगाए, फर्जी ई-प्रिस्क्रिप्शन के माध्यम से होने वाली बिक्री बंद कराए तथा जैसी अधिसूचनाओं को निरस्त किया जाए। साथ ही ऑनलाइन कंपनियों द्वारा की जा रही अत्यधिक छूट और अनुचित व्यापारिक नीतियों पर भी नियंत्रण लगाया जाए। दवा व्यापारियों का कहना है कि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल स्टोर केवल व्यापार का माध्यम नहीं, बल्कि लोगों के लिए तत्काल स्वास्थ्य सहायता का केंद्र होते हैं। ऐसे में यदि ऑनलाइन कंपनियों का अनियंत्रित विस्तार जारी रहा तो हजारों परिवार बेरोजगारी की कगार पर पहुंच जाएंगे। इस आंदोलन को लेकर जिलेभर में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। व्यापारियों ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि यदि उनकी मांगों को अनदेखा किया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। अब सबकी निगाहें केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय पर टिकी हैं कि वे इस गंभीर मुद्दे पर क्या कदम उठाते हैं।

आउटसोर्स कर्मचारी को चार माह से वेतन नहीं मिलने से की आत्महत्या

सिवनी। जिले के आदेगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मेहरा पिपरिया गांव में हुई एक युवक की आत्महत्या ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में कार्यरत 29 वर्षीय हेमंत डहेरिया का शव जंगल में सागौन के पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका मिला। घटना के बाद गांव सहित पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति बन गई है।

मृतक के पास से पुलिस को तीन पेज का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने आर्थिक तंगी, कर्ज और मानसिक तनाव का जिक्र किया है। हालांकि उसने अपनी मौत के लिए किसी व्यक्ति को सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया, लेकिन जिस प्रकार से वेतन न मिलने और आर्थिक संकट की बातें सामने आ रही हैं, उसने आउटसोर्स कंपनी और स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़े कर दिए हैं।

जंगल में पेड़ पर लटका मिला शव

जानकारी के अनुसार मेहरा पिपरिया निवासी हेमंत डहेरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत था। शनिवार को ग्रामीणों ने जंगल क्षेत्र में सागौन के पेड़ पर उसका शव लटका देखा, जिसके बाद तत्काल आदेगांव थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर पंचनामा कार्रवाई की गई। घटनास्थल से मिले तीन पन्नों के सुसाइड नोट ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। पुलिस द्वारा नोट को जब्त कर जांच शुरू कर दी गई है।

कर्ज की किश्तें नहीं भर पा रहा था युवक

सुसाइड नोट में हेमंत ने लिखा है कि उसने कुछ समय पहले कर्ज लिया था, लेकिन लगातार आर्थिक परेशानियों के कारण वह उसकी किश्तें जमा नहीं कर पा रहा था। इससे वह लगातार तनाव में था। बताया जा रहा है कि वह कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था।

ऋण वसूली अधिकरण, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक बी. द्वितीय तल, सेमिनरी हिल्स, नागपुर-4400066
एस.ए. सं. : 171/2018 F.F. 11/06/2026
कोठारी एम. बी. ज्वेलर्स
बनाम
केनरा बैंक एवं अन्य
प्रति,
आर एच सॉल्वेक्स प्रा. लि.
निवासी : प्लॉट नं. 2, 3, 4, 5, ए.के.वी.एन. औद्योगिक क्षेत्र, मंडला रोड, सिवनी, मध्य प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र, भुर्कलखापा - 480661.
समन/समाचार पत्र प्रकाशन
1. जबकि उपरोक्त नामित आवेदक ने इस अधिकरण में उपर्युक्त आवेदन दायर किया है।
2. जबकि समन/नोटिस की तामील सामान्य तरीके से नहीं हो सकी और जबकि प्रतिस्थापन सेवा (सब्स्टीट्यूटेड सर्विस) के लिए आवेदन इस अधिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया है।
3. आपको निर्देशित किया जाता है कि आप इस अधिकरण के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता के माध्यम से 11/06/2026 को प्रात: 11:00 बजे उपस्थित हों तथा लिखित बयान/उत्तर प्रस्तुत करें और यह कारण बताएं कि मांगी गई राहत क्यों न प्रदान की जाए।
4. ध्यान दें कि अनुपस्थिति की स्थिति में आवेदन की सुनवाई आपके बिना ही की जाएगी और निर्णय भी आपके अभाव में लिया जाएगा।
यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं अधिकरण की मुहर के साथ दिनांक 11/05/2026 को जारी किया गया।
SEAL
रजिस्ट्रार
ऋण वसूली अधिकरण नागपुर